फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : शांता डांगी | **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 88, 188 आरटीएक्ट | **पत्रावली संख्या : 105/2022**

जीसीएमएस : 2022/261

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 09.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट दिनांक 30.01.2025 को प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार द्वारा बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि डोटेड रास्ता खुला रखा जावे।

तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक घासा एवं पटवारी हल्का रख्यावल अनुसार मौजा विठोली के खसरा संख्या 313 रकबा 0.0809 किस्म बीड देवीलाल पिता नारू 16/39, मांगीलाल पिता नारू 1/2, शांता पत्नि शंकरलाल 7/78 जाति डांगी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम विठोली के खसरा नम्बर 318 रकबा 0.4856 किस्म श्मशान होकर बिलानाम सरकार दर्ज रिकॉर्ड है एवं मौके पर उत्तर–पूर्व की तरफ पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। बीच में उत्तर की तरफ दरवाजे हेतु खुला है। गेट फाटक नहीं है एवं खसरा संख्या 318 में श्मशान बना हुआ है। खसरा संख्या 318 के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 313 स्थित है। वर्तमान में तुरकिया–विठोली मुख्य रास्ते से खसरा संख्या 318 में होते हुए खसरा नम्बर 313 के खातेदारान् वादीगण का आवागमन हो रहा है। वादीगण मुख्य रास्ते से खसरा संख्याा 318 श्मशान भूमि से होकर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 313 में आवागमन चाहते है। ग्राम विठोली के खसरा नम्बर 318 रकबा 0.4856 किस्म श्मशान के रूप में बन्दोबस्त जमाबन्दी सयंत् 2030 में बिलानाम सरकार दर्ज है एवं वर्तमान में भी उसी रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सर्वत् 2030 से आज तक रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन खसरा नम्बर 318 में नहीं हुआ है। तहसीलदार घासा द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक घासा एवं पटवारी हल्का रख्यावल मय मौका पर्चा, जमाबन्दी नकल संलग्न किए गए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा के आराजी नम्बर 318 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि श्मशान दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि कि किस्म सेटलमेंट से पूर्व रास्ता एवं नाली थी। जिसे बदलकर किस्म श्मशान कर दिया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि संवत 2030 से बिलानाम श्मशान दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से जाहीर आया कि आराजी नम्बर 318 रकबा 0.4856 हैक्टेयर किस्म श्मशान में डोटेड रास्ता दर्शा रखा है। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 4(10)राज–6/2024/8 जयपुर दिनांक 04.04.2025 से रास्ता खोलो अभियान चालाया जा रहा है। उक्त प्रकरण में डोटेड रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित नही है। केवल मात्र राजस्व नक्शे में कदमी (डोटेड) रास्ता दर्ज है। वादी उक्त कदमी (डोटेड) रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। परन्तु वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी [illegible] के तहत कदमी (डोटेड) रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करने [illegible] कदमी (डोटेड) रास्ते को बंद करने का भी अधिकार नही है। [illegible] उक्त कदमी (डोटेड) रास्ते को किसी के द्वारा बंद भी [illegible] तो तहसीलदार को [illegible] कदमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:30 IST
Reason: SelfAttested

(डोटेड) रास्ते को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत खुलवाने का अधिकार है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर जाने के लिए इसी कदमी (डोटेड) रास्ते का उपयोग करते है। चुंकि प्रकरण में वर्णित रास्ता कदमी (डोटेड) रास्ता मौके पर भी बना हुआ है। ऐसे में उक्त रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो काश्तकारो को आवागमन में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसे में वादीगण के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नही हो इस हेतु डोटेड रास्ते को खुला रखे जाने के आदेश दिए जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा के आराजी नम्बर 318 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि के राजस्व नक्शे में अंकित डोटेड रास्ते को खुला रखा जावे। वादी के आवागमन में बाधा उत्पन्न नही करें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:40:30 IST
Reason: SelfAttested